भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 160
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में डिजीटल संपरीक्षा

†160. श्री बी. मणिक्कम टैगौर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में लाखों छात्रों के स्कूल के विद्यार्थियों का अभी भी मूल्यांकन नहीं हुआ है और यदि हाँ, तो केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक विद्यालयों का राष्ट्रव्यापी डिजीटल संपरीक्षा वास्तव में कब तक शुरू होने की संभावना है;
(ख) क्या सरकार के पास ड्रोन मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्लेषण, वेब प्लेटफॉर्म निर्माण और इस संपरीक्षा के डेटा प्रबंधन घटकों के लिए डेटा या विस्तृत व्यय ब्यौरा उपलब्ध है या यह पारदर्शिता के बिना किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संपरीक्षा को लागू करने के लिए किसी एजेंसी, सार्वजनिक उपक्रम या कंर्सोटियम की पहचान की है और क्या चयन प्रक्रिया निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि किसी एजेंसी का चयन नहीं किया गया है, तो सरकार ने कार्यान्वयन में देरी क्यों की, जिससे केंद्रीय विद्यालयों का डिजीटल अवसंरचना का मूल्यांकन नहीं हो सका;
(ङ) क्या सरकार की सभी केंद्रीय विद्यालयों में ड्रोन मैपिंग, 360-डिग्री इमेजिंग और एआई-आधारित विश्लेषण के लिए एक समान राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की कोई योजना है अथवा क्षेत्रीय विसंगतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार सीबीएसई, एनडीएमए या वैश्विक सुरक्षा मानकों के साथ लेखापरीक्षा मापदंडों का संरेखण किस प्रकार सुनिश्चित करती है और इसके गैर-अनुपालन की स्थिति में निर्धारित मौजूदा दंड प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मिशन प्लान पोर्टल (पीएम जीएसएनएमपीपी) लागू किया है। इसने इन लेयर्स के लिए आवश्यक और वांछित डेटा लेयर्स के साथ-साथ विशेषताओं की पहचान की है, जिसमें विभिन्न स्कूल प्रकार और श्रेणी शामिल हैं, जिन्हें दूसरे मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ योजनाओं के लिए एनएमपी पोर्टल से उपलब्ध स्कूल डेटा लेयर्स पर उनकी संबंधित परियोजनाओं या निर्णय लेने के लिए साझा किया जा सकता है। पीएम गतिशक्ति से मैप की गई डेटा लेयर्स में 41 विशेषताएं हैं, जिनमें स्कूल जीआईएस डेटा जैसे अक्षांश/देशांतर, स्कूल-वार और जेंडर-वार नामांकन, स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या, अवसंरचना सुविधाएं आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) के पोर्टल पर तैयार किए गए टूल्स में स्कूल डेटा लेयर्स के लिए क्वेरी बिल्डर, बफर क्रिएशन, नेविगेशन ऑप्शन, रूट और डिस्टेंस मेज़रमेंट, और ग्राउंड टोपोग्राफी एनालिसिस जैसे फीचर्स शामिल हैं।

केंद्र सरकार के स्कूल, अर्थात केंद्रीय विद्यालय (केवि) और नवोदय विद्यालय (नवि), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,शिक्षा मंत्रालय के तहत आते हैं। 1,222 केंद्रीय विद्यालयों और 634 नवोदय विद्यालयों को पीएम गतिशक्ति पर मैप किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की भूमि और भवनों की जानकारी गवर्नमेंट लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीएलआईएस) में रखी जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी स्थाई भवनों जिनमें 1201 भूमि के टुकड़े शामिल हैं और नवोदय विद्यालय समिति के 8,105 भवनों और साथ ही 659 भूमि के टुकड़ों को जीएलआईएस पोर्टल पर मैप किया गया है।

(च) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल संरक्षा और सुरक्षा पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी, सरकारी सहायता वाले और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने संबंधी प्रावधान हैं। ये दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्वायत्त संस्थाओं और हितधारक मंत्रालयों को भेजी गई हैं। इन दिशानिर्देशों में स्कूलों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये दिशानिर्देश एडवाइजरी हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे इन्हें लागू करेंगे और यदि आवश्यक समझा जाए, तो वे अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार इनमें कुछ परिवर्धन/संशोधन कर सकते हैं। ये दिशानिर्देश स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की वेबसाइट https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf पर अपलोड किए गए हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूल/स्कूल प्रबंधन को स्कूल के समय में, प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार स्कूल का पूरी तरह से निरीक्षण करना होगा। इस इंस्पेक्शन टीम द्वारा तैयार की गई और टीम द्वारा साइन की गई स्कूल निरीक्षण रिपोर्ट को पारदर्शिता के लिए स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। स्कूलों का यह हर तीन महीने में होने वाला निरीक्षण, एनसीपीसीआर के मैनुअल में दी गई जांचसूची या इन दिशानिर्देशों में दी गई विस्तृत जांचसूची का उपयोग करके स्कूल संरक्षा और सुरक्षा योजना के अनुपालन की जांच करेगा।

इन दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो सांविधिक हैं और बिना किसी परिवर्तन के इनका अनुपालन करना आवश्यक है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोड के अनुसार स्कूलों और बच्चों से जुड़ी सुविधाओं की सुरक्षा लेखा परीक्षा शामिल है। मंत्रालय ने शिक्षा विभाग, स्कूल बोर्ड और उनसे संबद्ध प्राधिकरण से इन उपायों को कार्यान्वित करने में बिना देर किए कार्य करने को कहा है। ये निर्देश इस लिंक पर उपलब्ध हैं: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss2607.pdf.

*****